

जनपद बाराबंकी

दिनांक-04.03.2021

मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा० न्या० जज ए०एस०जे०-45 पाक्सो एक्ट बाराबंकी ने एक अभियुक्त को 10 वर्ष के काठोर कारावास व 20,000 रू० अर्थदण्ड से किया दण्डित

पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुये शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि०/ कर्म०गण /पैरोकार द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी मा० न्यायालय में करते हुए साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्याया० में समय से प्रस्तुत कराकर गवाही करायी गयी, जिससे माननीय न्यायालय द्वारा थाना सतरिख पर पंजीकृत मु०अ०स० 114/14 धारा 376/506/504 भादवि व 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त राकेश कुमार वर्मा उर्फ ननकू पुत्र कन्धई नि० ग्राम भनौली थाना सतरिख बाराबंकी को 10 वर्ष के काठोर कारावास व 20,000 रू० अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि भूरि प्रशंसा की गयी ।

संक्षिप्त विवरण:- वादी त्रिभुवन पुत्र सीताराम नि० भनौली थाना सतरिख बाराबंकी द्वारा दिनांक 07.06.14 को थाना सतरिख पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त द्वारा मेरी पुत्री उम्र करीब 15 वर्ष के साथ दुष्कर्म कर व जान माल की धमकी दी गयी। इस सूचना पर थाना सतरिख जनपद बाराबंकी में मु०अ०स० 114/14 धारा 376/506/504 भादवि व 6 पाक्सो एक्ट बनाम राकेश कुमार वर्मा उर्फ ननकू पुत्र कन्धई नि० ग्राम भनौली थाना सतरिख जनपद बाराबंकी पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ०नि० रुपचन्द्र मौर्या द्वारा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुये अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।

पुलिस टीम-

- 1- निरीक्षक शिवाजी सिंह प्रभारी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 2- का० नीरज कनौजिया मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 3- म० का० प्रतिमा द्विवेदी मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 4- म० का० सपना वर्मा, म०का० पूनम देवी, मॉनीटरिंग सेल जनपद बाराबंकी।
- 5- हे० का० जसवंत सिंह थाना सतरिख जिला बाराबंकी।